



# AMITY UNIVERSITY

## RAJASTHAN

### *3.6.1 Extension activities in the neighborhood community in terms of impact and sensitizing students to social issues and holistic development*

S.No.	Name of the Research fellow	Page No.
1	NSS Approval to AUR	2
2	Committee NSS	7
3	Unnat Bharat Abhiyan Cell	8

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (गुप - 4 अ) विभाग  
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक प. 3(2)शिक्षा/गुप 4अ/2016

जयपुर, दिनांक : 08.08.2022

Registrar,  
Amity University,  
Kant Kalwar,  
Jaipur.  
303002

विषय : राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके आवेदनानुसार सत्र 2022-23 में

Amity University, Kant Kalwar, Jaipur

हेतु 02 इकाई आवंटित की जाती है।

अतः संलग्न प्रपत्रों के नियमानुसार इकाई संचालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(डॉ. धर्मेन्द्र सिंह)  
राज्य सम्पर्क अधिकारी

{ईमेल-slonsrajasthan@gmail.com}

!! शिक्षा (गुप-4अ) विभाग, ए.एस.ओ. भवन तृतीय तल कमरा नं० 8313, शासन सचिवालय, जयपुर!!

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप - 4 अ) विभाग

क्रमांक प. 3(2)शिक्षा/ग्रुप 4अ/2016

जयपुर, दिनांक : 08.08.22

Registrar,  
Amity University,  
Kant Kalwar,  
Jaipur.

विषय : राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके आवेदानुसार सत्र 2022-23 हेतु आपके विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को 02 इकाई (100 स्वयं सेवक प्रति इकाई) आवंटित की गई है।

अतः कृपया तदनुसार आवंटित इकाई हेतु अग्रिम कार्यवाही के लिये बैंक खाते की सूचनाएं सात दिवस में रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध कराते हुए ई-मेल (slonssrajasthan@gmail.com) पर भी भिजवाने का धम करें जिससे कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का PFMS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जा सके। खाता पूर्व में PFMS पोर्टल पर रजिस्टर्ड है तो अपनी संस्था से राष्ट्रीय सेवा योजना (9230) स्कीम को PATH की सहायता से मैपिंग निम्नानुसार करें:-

Login Admin My Scheme Register New Scheme 9230  
Select Funding Agency I will receive fund from this agency search  
Select-Agency Unique Code rajasthanss Search select Rajasthan  
State NSS Cell then Enter your bank detail as required Blue hyperlink  
को Click कर Scheme Component mapping में Bulk को Select कर Save करें।

इस कार्यालय को भी की गई कार्यवाही से अवगत कराये। यदि PFMS पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है तो सूचना निम्नानुसार उपलब्ध कराये:-

1. संस्था का नाम गय पिन कोड व टेलिफोन नम्बर
2. प्राचार्य का नाम व मोबाइल नम्बर
3. खाता संख्या (जो कि संस्था के नाम से हो)
4. IFS CODE
5. Email id
6. कॉस चैक

यह खाता PFMS पर किसी अन्य योजना जैसे- RUSA इत्यादि से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए।

राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित प्रमुख दिशा-निर्देशों की छाया प्रति प्रेषित की जा रही है एवं संलग्न प्रपत्र (1 से 25 कॉलम) को पूर्ण कर दिनांक 15.09.2022 तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को अवगत कराये।

भवदीय,

(डॉ. धर्मेन्द्र सिंह)  
राज्य सम्पर्क अधिकारी

[ईमेल-slonssrajasthan@gmail.com]

!! शिक्षा (ग्रुप 4अ) विभाग, एस.एस.ओ. भवन तृतीय तल कमरा नं० 8313, शासन सचिवालय, जयपुर!!

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-4 'अ') विभाग  
शासन सचिवालय, जयपुर

1. राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई का आशय 100 विद्यार्थी एवं एक कार्यक्रम अधिकारी हैं।
2. कार्यक्रम अधिकारी के रूप में नियुक्ति उन्हीं प्राध्यापकों में से की जानी चाहिए, जो युवा हों, काम करने के इच्छुक एवं सामुदायिक सेवा हेतु समर्पित भाव रखते हों।
3. राज्य सरकार एवं आयुक्तालय से प्राप्त निर्देशों एवं आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।
4. कार्यक्रम अधिकारी सीधा पत्र व्यवहार न करें। प्रत्येक पत्र में प्राचार्य के प्रतिहस्ताक्षर अवश्य हों या पत्र पर प्राचार्य के की हस्ताक्षर हों, पत्र व्यवहार के समय प्राचार्य का नाम, ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर अवश्य अंकित करें।
5. संस्था के अध्यक्ष के रूप में प्राचार्य को यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई अपना कार्य सुचारु रूप से करती रहे। इसके लिए कार्यक्रम अधिकारी को मदद करना, लिपिकीय सहायता पहुँचाना तथा स्थान आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना परामर्शदात्री समिति का गठन करें।
6. एन.एस.एस. से संबन्धित विभिन्न सूचनाएँ एवं निर्देश, एन.एस.एस. वार्षिक कैलेंडर आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा की वेबसाइट पर भी प्रसारित किये जाते हैं। प्राचार्यों से अनुरोध है कि प्राप्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
7. सत्र प्रारम्भ में इकाइयों में स्वयंसेवकों का रजिस्ट्रेशन होते ही इनकी सूचना Exel Sheet में Font type - Time New Roman Font Size 12 में एक ही लाइन में कॉलम 1 से 25 तक सॉफ्ट कॉपी में ई-मेल द्वारा slonssrajasthan@gmail.com पर भेजें।(परिशिष्ट-"क")
8. विशेष शिविर प्रारम्भ की सूचना एवं परिशिष्ट "क" की सूचनाएँ निम्न तीन कार्यालयों को भिजवाई जानी चाहिए:-
  - i. राज्य सम्पर्क अधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-4अ) विभाग, कमरा नं. 8313, एस.एस.ओ. भवन, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
  - ii. क्षेत्रीय निदेशालय, एन.एस.एस., बी-7, देव नगर, टोंक रोड़, जयपुर।
  - iii. समन्वयक, युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
9. राष्ट्रीय सेवा योजना का लेखा जोखा रजिस्टर कार्यालय द्वारा पूर्ण कर रखना चाहिए तथा स्थाई सामान खरीदने पर उसको स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज करना आवश्यक है क्योंकि निरीक्षण कभी भी किया जा सकता है।
10. सूचना पट्ट अलग से होना चाहिए।
11. त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक एवं विशेष शिविर प्रविवेदन समय-समय पर इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
12. अनुदान राशि Annexure-D के अनुसार खर्च की जायें।
13. विशेष शिविर, एक दिवसीय शिविरों हेतु धनराशि महाविद्यालय द्वारा आयुक्तालय के आदेशानुसार आदेश क्रमांक प. 20(205)/एनएसएस/आकाशि/2003/630 दिनांक 19.01.2008 एवं प-9(विविध)/एनएसएस/आकाशि/09/12 दिनांक 08.01.2010 के तहत महाविद्यालय से खर्च की जा सकती है।(पत्र संलग्न)


14. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिवस 31 मार्च से पूर्व लेखा जोखा कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
15. अनुदान राशि व्यय का लेखा जोखा PFMS पोर्टल के माध्यम करें।
16. अनुदान राशि में शेष रहने पर PFMS पोर्टल के माध्यम से ही वापस "Rajasthan State NSS Cell" के बैंक खाते में स्थानान्तरित करें।
17. वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह के प्रारम्भ में समय से समस्त खर्चों का विवरण कार्यक्रम अधिकारी द्वारा महाविद्यालय कार्यालय में जमा कराना होगा।
18. समस्त खर्चों का व्यय विवरण कार्यक्रम अधिकारी से प्राप्त होने पर कार्यालय लिपिक द्वारा 31 मार्च से पूर्व ही PFMS पोर्टल पर इन्द्राज एवं समस्त कार्यवाही कराने की जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी।
19. वित्तीय वर्ष समाप्ति उपरान्त "उपयोगिता प्रमाण-पत्र" (व्यय-विवरण) निर्धारित प्रपत्र A,D,F में तैयार कर वार्षिक प्रतिवेदन के साथ अप्रैल माह के अंत तक इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
20. निजी संस्थायें प्राचार्य के माध्यम से सनदी लेखाकार (Chartered Accountant) की ऑडिट रिपोर्ट प्रपत्र A,D,F के साथ प्रेषित करें।
21. कार्यक्रम अधिकारी वर्षभर कार्यक्रम कलैण्डर के अनुसार करेंगे।
22. सभी सूचनाएं मेल द्वारा प्रेषित होती हैं वर्तमान में प्रभावी सूचनातंत्र जैसे ई-मेल द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाली सूचनाएं एवं आदेश अपने कार्यालय द्वार प्रतिदिन अवलोकन करते रहना चाहिए।
23. बकाया राशि वापस लौटाने हेतु निम्नानुसार PFMS पोर्टल पर कार्यवाही की जा सकती है।

#### FUNDS TRANSFER TO HIGHER AGENCY

Admin login → Go to transfer → Transfer to higher agency

New page → Scheme → Bank Account → Letter/office order No & Date → Transaction date → Transferring Amount → Scheme Component → Higher Agency (Rajasthan state NSS Cell) Narration → save - Green color in last of page - click on payee detail New page - select instrument type (Epayment print Advice) → click on Add Button New Page - Check all details & Approve → Print PPA → Submit to bank after sign by authority.

24. अनुदान राशि संस्थान के खाते में ऑनलाइन PFMS पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाती है उसे समय-समय पर खाते में देखकर अनुदान राशि स्थानान्तरण होने पर प्राप्त करना होगा।
25. सभी खर्चों का भुगतान पोर्टल के माध्यम से ही करना होगा।
26. उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष (31 मार्च) के पश्चात् शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें। अन्यथा अग्रिम वर्ष का अनुदान जारी नहीं किया जायेगा।
27. वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति इस कार्यालय, क्षेत्रीय निदेशक एवं समन्वयक कॉलेज शिक्षा को प्रेषित करनी होगी।

  
 08.08.2022  
 (डॉ० धर्मेन्द्र सिंह)  
 राज्य सम्पर्क अधिकारी

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (शुप - 4 अ) विभाग  
शासन सचिवालय, जयपुर

प्रत्येक इकाई के लिये सेवकों की सूचना MS Excel Sheet में Font type-Time New Roman में Font Size 12 में 1-25 कॉलम तक Soft Copy में ई-मेल  
अर्थात् sionsrajasthan@gmail.com पर भेजी


S. No	District	Name of Institutions	Address of Institutions	Institution's E-Mail I.D.	Institution's Landline Number with STD Code and Social media handle (Twitter, Insta, FB)	Name of the Institution's Head/Principal	E-Mail I.D. of the Head / Principal	Mobile number of Head/Principal	Name of Programme Officer with Teaching Subject	Date of Appointment of Programme Officer	Untrained/ If Trained give date of Training	E-Mail I.D. of Programme Officer	Mobile number of Programme Officer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Unit Numbers	Name of Adopted Village/Slum	Name of Volunteer	Father's Name	Gender	Date of Birth	Class	E-Mail I.D. of Volunteer	Mobile number of Volunteer	Aadhar Number	Category			
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			

(डॉ. धर्मनंद सिंह)  
राज्य सम्पर्क अधिकारी

*Amrinder Singh*  
20-08-2022

ईमेल-sionsrajasthan@gmail.com]

11 शिक्षा (शुप-4अ) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।।



# AMITY UNIVERSITY

## RAJASTHAN

Kant Kalwar, NH-11-C,  
Jaipur (Rajasthan) 303002  
Tel: 01426-405678,  
Fax: 01426-405679

No. : AUR/REG/6129

Date : 24/02/2022


### Re-Constitution of AUR 'National Service Scheme' (NSS) Team

The AUR NSS Team is hereby re-constituted, as under, to plan and organize NSS activities, for betterment of the community in nearby villages, slums etc. :


- |    |                            |                             |                         |
|----|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. | Dr. Manoj Kumar            | Assistant Professor - ASL   | : Programme Coordinator |
| 2. | Dr. Prashant               | Associate Professor - AIBAS | : Programme Officer     |
| 3. | Mr. Vinod Kumar Sharma     | Assistant Professor - ASET  | : Programme Officer     |
| 4. | Dr. Kaushal Kishore Sharma | Assistant Professor - ASL   | : Programme Officer     |
| 5. | Dr. Kumar Sambhav Verma    | Assistant Professor - AIB   | : Programme Officer     |
| 6. | Dr. Abhineet Saxena        | Assistant Professor - ABS   | : Programme Officer     |
| 7. | Mr. Rituraj Taye           | Assistant Professor - ASCo  | : Programme Officer     |
| 8. | Ms. Ishani Gogoi           | Assistant Professor - ASAP  | : Programme Officer     |
| 9. | Mr. Vikas Rawat            | Social Media Officer        | : Programme Officer     |

The NSS Programme Officer are expected to continuous monitor and participate in the various activities/events and should motivate the communities as well as students to involve themselves with NSS for community development and bring significant change in society.

Letter No. AUR/REG/3714 dated 19/11/2019, of this office on the subject matter is hereby superseded.

  
Dr. Nitin Bhardwaj  
Registrar





# AMITY UNIVERSITY

## RAJASTHAN

Kant Kalwar, NH-11-C,  
Jaipur (Rajasthan) 303002  
Tel: 01426-405678,  
Fax: 01426-405679

No. : AUR/REG/6130

Dated : 24/02/2022

### Re-Constitution of Unnat Bharat Abhiyan (UBA) Cell

As you are aware, Amity University Rajasthan has been selected as 'Participating Institution (PI)' under 'Unnat Bharat Abhiyan'. The main responsibility of Amity University Rajasthan under UBA is to primarily develop linkage with selective rural clusters, involve in the planning process and to promote the requisite S&T interventions to improvise as well as expedite the developmental efforts in those clusters.

A UBA Cell is established as under to carry out the activities of the UBA. UBA cell will be responsible for developing the competence of it is working group by appropriate orientation, training, and creation of appropriate ethos within the institution towards indigenous and sustainable rural development and initiating requisite curricular modifications and other facilities measures.

Committees are constituted as under :


#### Executive Committee

1.	Dr. Nitin Bhardwaj	Registrar	:	Chairman
2.	Dr. Manoj Kumar	Assistant Professor - ASL	:	Coordinator
3.	Dr. Vinod Singh Gour	Associate Professor - AIB	:	Member
4.	Dr. Prashant	Associate Professor - AIBAS	:	Member
5.	Mr. Vinod Kumar Sharma	Assistant Professor - ASET	:	Member
6.	Mr. Amit Chaurasiya	Assistant Professor - ASET	:	Member
7.	Dr. Shafiq UI Rehman	Assistant Professor - AIIT	:	Member
8.	Dr. Apeksha Bhatnagar	Assistant Professor - ABS	:	Member
9.	Ms. Aditya Anand	Assistant Professor - ASH	:	Member
10.	Ms. Shivani Chandra	Assistant Professor - ASFT	:	Member
11.	Ms. Sonali Bhatnagar	Assistant Professor - ALS	:	Member
12.	Ms. Swechcha Roy	Assistant Professor - ASAP	:	Member
13.	Mr. Rajesh Sharma	Assistant Professor - ASCo	:	Member

#### Local Advisory Committee

1.	Prof. Amit Jain	Pro-Vice Chancellor	:	Chairman
2.	Prof. G. K. Aseri	Provost & Dean-Academics	:	Member
3.	Prof. Vinay Sharma	Dean - Research	:	Member
4.	Prof. Sanjeeb Pal	Director - ASH	:	Member
5.	Dr. Sambaditya Raj	Coordinator - ASFT	:	Member

Letter No. AUR/REG/4714 dated 21/07/2020, of this office on the subject matter is hereby superseded.

  
Dr. Nitin Bhardwaj  
Registrar

